संख्या-18/2020/451/12-5-2020-ब0-02/2018

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 08 अप्रैल, 2020**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21के लिए स्वीकृत आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष अनुदान संख्या-11 में राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ को व्यय वहन करने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी०ए०/02/वित्तीय स्वीकृति 2020-21, दिनांक 03 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिये अनुदान संख्या-11 में रहमानखेड़ा, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊके व्यय को वहन करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 764.70 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 676.42लाख मात्र को निम्नानुसार योजनावार/मदवार आपके निर्वतन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक	प्राविधान वर्ष 2020-21	स्वीकृत धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म		
109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण		
04-रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान		
20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	117.70	29.42
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	647.00	647.00
योग	**764.70**	**676.42**

(रूपये छः करोड़ छियत्तर लाख बयालिस हजार मात्र)

2- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान निमयावली के समस्त नियम लागू होगें तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होगें तथा इस सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63 दिनांक 17.01.1979 में उल्लिखित दिशानिर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.1979 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जाये।

3- उक्त अनुदान की धनराशि का देयक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा। इस देयक पर संयुक्त कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा । निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त कृषि निदेशक, उ0 प्र0 को सूचित करेगें।

4- जारी स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि कोषागार से फेजिंग के आधार पर सुनिश्चित की जाये। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

5- व्यय प्रतिनिधानित अधिकारों की सीमा के अधीन ही किया जाये। तथा जहां कही भी शासन की स्वीकृति व्यय हेतु आवश्यक हो उसे यथा समय प्राप्त किया जायेगा। और व्यय को धनराशि की सीमा तक ही सीमिति रखा जाये।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों तथा व्यय बचत आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

7- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-11के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण,04-रहमानखेड़ा, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान,20-सहायता अनुदानसामान्य(गैरवेतन),31-सहायताअनुदान-सामान्य(वेतन)केनामेडालाजायेगा।

8- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश उक्त शासनादेश में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-18/2020/451(1)/12-5-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखाएवंहकदार) प्रथम/द्वितीय ,उत्तर प्रदेश ,प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय ,उत्तरप्रदेश ,प्रयागराज।
3- प्रधानमहालेखाकारद्वितीय/प्रथम (आडिट /सिविल), उत्तरप्रदेश ,प्रयागराज।
4- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उत्तरप्रदेश ,प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, राज्यकृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
10- गार्डफाइल।

संलग्नक-यथोक्त ।

आज्ञासे,
वीरेन्द्र कुमार
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।